5 रु. 5 रु. 5 रु. 5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(79)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1– गम्भीरा तनय छोटेलाल यादव , निग0 227-I/17

2– बाबूलाल तनय छोटेलाल यादव,

3– शंकरलाल तनय छोटेलाल यादव,

निबासी– ग्राम डूडियनखेरा तह0 बल्देवगढ़ जिला, टीकमगढ़,

श्री .... द्वारा आज दि. 16/01/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

वनाम ....आवेदकगण

1– बाबूलाल तनय गैवा अहिरवार,

2– अजुद्दी तनय गैवा अहिरवार,

निबासी– ग्राम डूडियनखेरा तह0 बल्देवगढ़ जिला, टीकमगढ़

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ द्वारा प्र0क0 78/अपील/2015–16 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 27/12/2016 से परिबेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक कमांक 01 के नाम से ग्राम डूडियनखेरा, पटवारी हल्का लखेरी तहसील बल्देवगढ़ में खसरा नंबर 54/3/1 मे रकवा 1.362 हैक्टर, आवेदक कमांक 02 के नाम से 54/3/2 में 1.362 हैक्टर तथा आवेदक कमांक 03 के नाम से 54/3/3 मे 1.362 हैक्टर भूमि भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। जो उनकी पुरानी पैतृक भूमि हैं। जिस पर वे पूर्वजों समय से काबिज चले आ रहे हैं। जिस पर उनके द्वारा किसान केडिट कार्ड के म... ऋण भी प्राप्त किया गया हैं। आवेदकगण को उपरोक्त भूमि अपने पिता छो... हरदयाल यादव से वारिसान हक में प्राप्त हुई थी। जिस पर कृषि कार्य क...

राजेन्द्र पटेरिया (एड.)
बार रूम क. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि०- 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

21513 94254.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 227-एक/2017 जिला टीकमगढ गम्भीरा विरूद्ध बाबूलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 78/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-12-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-01-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया	

28.12.18

जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

28.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य